भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2060
31 जुलाई, 2025 को उत्तर देने के लिए

मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना का कार्यान्वयन

2060. श्री बंटी विवेक साहू:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) योजना का ब्यौरा और उद्देश्य क्या हैं तथा इसे किन राज्यों में क्रियान्वित किया जा रहा है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत जून 2025 तक स्वीकृत ऋणों की संख्या और उसमें शामिल कुल वित्तीय राशि कितनी है;

(ग) इसके अंतर्गत जून 2025 तक स्वयं सहायता समूहों को बीज पूंजी सहायता के रूप में स्वीकृत राशि कितनी है;

(घ) इस योजना के अंतर्गत जून 2025 तक स्वीकृत और संचालित इन्क्यूबेशन केंद्रों की संख्या कितनी है; और

(ङ) क्या यह योजना मध्य प्रदेश और छिंदवाड़ा लोक सभा क्षेत्र में क्रियान्वित की जा रही है और यदि हॉं, तो इसकी प्रगति क्या है और यदि नहीं, तो इसे कब तक वहां क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक भाग के रूप में, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) देश में नए सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उन्नयन हेतु वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्रीय प्रायोजित "प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना" को कार्यान्वित्त कर रहा है। यह योजना 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2020-21 से 2025-26 तक प्रचालनरत है। इस योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में ऋण तक पहुँच बढ़ाकर, ब्रांडिंग और विपणन को सुदृढ़ करके संगठित आपूर्ति श्रृंखला के साथ एकीकरण, सामान्य सेवाओं तक पहुँच बढ़ाकर, संस्थानों को सुदृढ़ बनाकर, अनुसंधान और प्रशिक्षण प्रदान करके सूक्ष्म उद्यमों की क्षमता का निर्माण करना है।

(ख) से (घ): पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत 30 जून 2025 तक की प्रगति का विवरण नीचे दिया गया है:

i. क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के अंतर्गत 11501.79 करोड़ रुपये की राशि के 1,44,517 ऋण स्वीकृत किए गए हैं।
ii. 3,48,907 स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए 1182.48 करोड़ रुपये की प्रारंभिक पूंजी सहायता स्वीकृत की गई है।
iii. देश में 76 इन्क्यूबेशन केन्द्रों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 20 इन्क्यूबेशन केन्द्र चालू हो चुके हैं।

(ङ): पीएमएफएमई योजना मध्य प्रदेश राज्य सहित देश भर में कार्यान्वित्त की गई है । 30 जून 2025 तक छिंदवाड़ा जिले सहित मध्य प्रदेश राज्य में इस योजना की प्रगति निम्नानुसार है:

मध्य प्रदेश राज्य के लिए:

- **क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी** : क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के अंतर्गत 879.43 करोड़ रुपये की राशि के 9910 ऋण स्वीकृत किए गए हैं।
- **प्रारम्भिक पूंजी सहायता** : 13,733 एसएचजी सदस्यों को 43.63 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।
- **इन्क्यूबेशन सेंटर:** 9.87 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता के साथ 3 इन्क्यूबेशन सेंटरों को मंजूरी दी गई है।

छिंदवाड़ा जिले के लिए , क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के तहत 19.90 करोड़ रुपये की राशि के साथ 272 ऋण स्वीकृत किए गए हैं और 105 एसएचजी सदस्यों के लिए 0.42 करोड़ रुपये की राशि के साथ प्रारम्भिक पूंजी सहायता को मंजूरी दी गई है।

******